बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-04/2024 2086 /पटना, दिनांक 22/11/2024

प्रेषक,

पुरूषोत्तम पासवान, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- उप जिला निर्वानचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **मतदाता सूची में दोहरी-तिहरी प्रविष्टि/ जीवित व्यक्ति को मृत दिखाये जाने एवं प्रथम द्रष्टया नाबालिग पाये जाने के संबंध में मार्गदर्शन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई जगह मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति की दोहरी-तिहरी प्रविष्टि कर दी गयी है, ताकि एक व्यक्ति कई मतदान केन्द्रों पर मतदान कर सकें। प्राधिकार को यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई व्यक्ति, जो जीवित है, उन्हें मतदाता सूची में मृत दिखा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में कई नाबालिग लोगों के नाम होने की भी शिकायतें मिल रही है। उक्त आराध पर कोई फर्जी वोटिंग न हो सके, इसलिए निम्नांकित निदेश दिये जा रहे हैं-

1. मतदाता सूची में जहाँ भी दोहरी-तिहरी प्रविष्टि के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ प्रथम प्रविष्टि को छोड़कर अन्य पर दोहरी-तिहरी प्रविष्टि अभ्युक्ति कॉलम में अंकित की जाय। यह कार्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से संपन्न कराया जाना है। निर्वाचन पदाधिकारी प्राथमिकता पर इसे सुनिश्चित करेंगे ताकि मतदान के पूर्व यह कार्रवाई संपन्न हो जाए।

2. जहाँ भी यह तथ्य स्पष्ट हो कि जीवित व्यक्ति को मतदाता सूची में मृत दिखा दिया गया है, तो वैसी स्थिति में शिकायतकर्त्ता से फोटोयुक्त शपथ पत्र लिया जाय, जिसमें उसी क्षेत्र के रहने वाले दो गवाहों का हस्ताक्षर हो तथा तीनों व्यक्तियों का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न हो। इस कागजात के आधार पर मतदाता सूची के अभ्युक्ति कॉलम में 'मृत' शब्द को विलोपित किया जाय और 'जीवित का साक्ष्य उपलब्ध' अंकित किया जाय तथा तदनुसार उन्हें आगे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाय। उक्त जिम्मेवारी निर्वाचन पदाधिकारी की होगी और आवश्यकतानुसार पीठासीन पदाधिकारी भी इस प्रावधान का प्रयोग कर सकेंगे।

निर्वाचन समाप्ति के बाद उक्त सभी अभिलेखों की जिला सहकारिता पदाधिकारी और समिति को अभिलेख में सुधार करने के लिए भेज दिया जाय।

3. नाबालिग मतदाता की शिकायत के संदर्भ में मतदान केन्द्र पर प्रथम दृष्टया इस बात का ध्यान रखा जाय कि कोई 18 वर्ष से कम उम्र के मतदाता नहीं हो सकते हैं। जिनके पास 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त कोई एक मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हो, वही मतदान कर पायेंगे। इस निदेश का अनुपालन पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

P.T.O

4. उपर्युक्त निदेशों का क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

विश्वासभाजन

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 2086 पटना/ दिनांक 22/11/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 2086 पटना/ दिनांक 22/11/2024

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 2086 पटना/ दिनांक 22/11/2024

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।